

FORM G

INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR

'CHINAR REALTY PRIVATE LIMITED'

OPERATING IN REAL ESTATE SECTOR AT BHOPAL, MADHYA PRADESH

(Under sub-regulation (1) of Regulation 36A of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

RELEVANT PARTICULARS		
1.	Name of the corporate debtor along with PAN / CIN / LLP No.	CHINAR REALTY PRIVATE LIMITED U45201MP1999PTC013256
2.	Address of the registered office (as per MCA records)	F. No. 401, Block G Gaurav, Fourth Floor, Chinarr Dream CT, Ratanpur Sadak, Ward No. 84, Hoshangabad Road, Misrod, Bhopal, Huzur, Madhya Pradesh - 462047
3.	URL of website	https://www.incorprestructuring.com/chinarrealty.html
4.	Details of place where majority of fixed assets are located	Chinarr Dream CT, Ratanpur Sadak, Ward No. 84, Hoshangabad Road, Misrod, Bhopal, Huzur, Madhya Pradesh - 462047 Further Details can be sought from the RP by sending an email on chinarrealty@gmail.com
5.	Installed capacity of main products / services	Not Applicable
6.	Quantity and value of main products / services sold in last financial year	Not Applicable
7.	Number of employees / workmen	NIL
8.	Further details including last available financial statements (with schedules) of two years, lists of creditors are available at URL:	The details can be sought by sending an email on chinarrealty@gmail.com and / or Virtual Data Room in accordance with the provisions of the Code and Regulations made thereunder
9.	Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at URL:	The detailed invitation for expression of interest which shall include the eligibility for resolution applicants under Sec 25(2)(h) of the Code can be sought by sending an email on chinarrealty@gmail.com and is available at https://www.incorprestructuring.com/chinarrealty.html
10.	Last date for receipt of expression of interest	July 23, 2024
11.	Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	August 2, 2024
12.	Last date for submission of objections to provisional list	August 7, 2024
13.	Date of issue of final list of prospective resolution applicants	August 17, 2024
14.	Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants	August 22, 2024
15.	Last date for submission of resolution plans	September 21, 2024
16.	Process email id to submit EOI	chinarrealty@gmail.com





Amit Vijay Karia

Resolution Professional of **Chinar Realty Private Limited**

(Undergoing CIRP vide order dated May 2, 2024, received on May 6, 2024)

Registration Number: IBBI/IPA-001/IP-P02600/2021-2022/13969

AFA: AA1/13969/02/061224/106477 is valid till December 6, 2024

Address & email id registered with IBBI:

405, Hind Rajasthan Building, Dadasaheb Phalke Road, Gautam Nagar, Dadar (East), Mumbai
- 400014 (Maharashtra) ipamitkaria@gmail.com

Process specific email id for correspondence: chinarrealty@gmail.com

Process specific website: <https://www.incorprestructuring.com/chinarrealty.html>

Date: July 8, 2024

Place: Mumbai

पुलिस अधिनियम 1861 के तहत भर्ती फायरकर्मि पुलिस की वर्दी से मुक्त होना नहीं चाहते

पुलिस फायर का अमला नगरीय प्रशासन विभाग में जाने को तैयार नहीं

● भोपाल, अग्निबाण संवाददाता।

पुलिस अधिनियम 1861 के तहत पुलिस अग्निशमन सेवा में भर्ती पुलिस फायर का अमला नगरीय प्रशासन विभाग में जाने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि हमने प्रदेश और राष्ट्र की सेवा के लिए पुलिस वर्दी पहनी है। अगर पुलिस अग्निशमन सेवाकर्मियों का विलय नगरीय प्रशासन विभाग में होता है तो उससे हमारा



मनोबल टूटता और कार्यक्षमता भी प्रभावित होगी। गौरतलब है कि हाईकोर्ट जबलपुर ने प्रचलित रिट याचिका क्रमांक 456/2023 जसपाल शर्मा बनाम मध्यप्रदेश शासन की सुनवाई के दौरान 13 मई को पुलिस फायर के अंतर्गत काम कर रहे फायर अमले को नगरीय प्रशासन विभाग की फायर शाखा में मर्ज करने के लिए हरी झंडी

पुलिस फायर कर्मियों में असंतोष

अभी तक गृह विभाग के अंतर्गत रह कर कार्य कर रहे पुलिस अग्निशमन सेवाकर्मियों में इस बात का असंतोष है कि उन्हें नगरीय निकाय में मर्ज किया जा रहा है। जबकि उनकी भर्ती पुलिस अधिनियम 1861 के तहत उसी तरह हुई है, जिस तरह अन्य पुलिस कर्मियों की होती है। ऐसे में उनका नगरीय निकाय में विलय करना उनके अधिकारों का हनन है। सरकार के इस कदम से डरे सहम पुलिस फायरकर्मियों राहत के लिए अब वरिष्ठ अधिकारियों को ज्ञापन सौंप रहे हैं।

दे दिया है और इस संदर्भ में नगरीय प्रशासन विभाग को तीन महीने

में अपना अंतिम जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद मुख्य सचिव वीरा राणा ने 20 जून को बैठक कर अधिकारियों को आगे की कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया है। वहीं इस संदर्भ में नगरीय प्रशासन विभाग ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। उधर, सरकार के इस कदम से पुलिस अग्निशमन सेवा के अधिकारियों-कर्मचारियों में भय और असंतोष का

माहौल है। वे किसी भी स्थिति में नगरीय निकाय में जाने को तैयार नहीं हैं।

तीन महीने में मर्ज करने की कवायद: सूत्रों का कहना है कि हाईकोर्ट की हरी झंडी मिलने के बाद नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव ने गृह विभाग के प्रमुख सचिव के साथ बैठक करके सहमति दे दी। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव ने की और उनकी भी सहमति मिल गई है। इसके बाद नगरीय प्रशासन ने अपना अंतिम जवाब कोर्ट में पेश कर दिया है। इस जवाब में लिखा है कि पूर्व में मंत्री परिषद द्वारा लिए गए

निर्णय का पालन किया जाए और पुलिस अग्निशमन सेवा के सभी अधिकारी व कर्मचारी और संबंधित मशीनरी नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग को अगले तीन महीने में पूरी तरह सौंप दी जाए।

पुलिस फायर के पास 210 का स्टाफ: पुलिस फायर के पास अभी कुल 210 का स्टाफ है। अभी यह अमला भोपाल, इंदौर, पीथमपुर और मालनपुर (भिंड) में पदस्थ है। भोपाल में 44 का स्टाफ है। अमला पूरी निष्ठा और इमानदारी के साथ अपना काम कर रहा है। यह अमला पूरी तरह टूट है। वर्तमान में इनको पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समय-समय पर प्रशिक्षित किया जाता है, जिससे इनकी कार्यक्षमता नगरीय निकाय के फायर कर्मियों से काफी अधिक है। ऐसे में अगर इनका नगरीय निकाय में विलय होता है तो इनकी कार्य क्षमता प्रभावित होगी। पुलिस अग्निशमन सेवा के अधिकारी-कर्मचारी नगरीय निकाय में नहीं जाना चाहते हैं।

मालवीय समाज द्वारा किया गया पौधारोपण



भोपाल। पिपलेश्वर महादेव मंदिर पुल पातरा शाहजहांनी पार्क में मालवीय रजक समाज द्वारा (एक पेड़ मां के नाम) अभियान के तहत पौधारोपण किया गया। इस आयोजन में समाज अध्यक्ष नरेश मालवीय, महामंत्री नरेश बिल्लोरे, वरिष्ठ समाजसेवी छोटेलाल मालवीय, सुनील मालवीय, कुदंन मालवीय, मनोज मालवीय महेश मालवीय, अशोक मालवीय सहित समाज के कई वरिष्ठ नागरिक शामिल हुए। समाज के सभी लोगों ने पेड़ों को बचाने का संकल्प भी लिया।

2 किशोरी घर से बिना बताए लापता, मामला दर्ज

भोपाल। राजधानी के 2 थाना क्षेत्रों से 2 नाबालिग लापता हो गईं। पुलिस ने दोनों ही मामले में पहले गुमशुदगी दर्ज की और उसके बाद नाबालिग के अपहरण का अपराध पंजीबद्ध किया है। पुलिस के अनुसार थाना गांधी नगर में हाई स्कूल के पास रहने वाली कमला रावत ने पुलिस को सूचना दी थी कि 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी 7 जुलाई की शाम 4 बजे से लापता है, पुलिस ने उनके द्वारा दी गई सूचना के आधार पर गुम इंसान कायम करने के बाद मामला दर्ज किया। इसी प्रकार रातीबुद्दुआ क्षेत्र में भी एक 16 वर्षीय किशोरी घर से बिना बताए कहीं चली गईं। घटना की सूचना शिवनगर फेस 3 निवासी मालती ने थाने में पहुंचकर दी थी। पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए अज्ञात अपहृत के खिलाफ अपहरण का प्रकरण दर्ज कर लिया।

नाम परिवर्तन/संशोधन सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, राजेश मेहरा आ. गोदालाल मेहरा आयु व्यक्त स्थाई निवासी वार्ड नं.-19, नारायण नगर ब्रह्मकुमारी आश्रम के पास होशंगाबाद (नर्मदापुरम) म.प्र. का निवासी हूँ। मेरे पुत्र का वास्तविक नाम शरद मेहरा है (SHARAD MEHRA) है, जिसका जन्म शासकीय चिकित्सालय होशंगाबाद में हुआ था एवं जन्म प्रमाण पत्र में युटिविश नाम दिनेश मेहरा उर्फ शरद मेहरा (DINESH MEHRA @ SHARAD MEHRA) अंकित होकर नगर पालिका होशंगाबाद नर्मदापुरम द्वारा जारी हो गया है जबकि मेरे पुत्र का सभी शासकीय एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में नाम शरद मेहरा है अब मेरे पुत्र को अपने वास्तविक जो शासकीय दस्तावेज में दर्ज है शरद मेहरा (SHARAD MEHRA) के नाम से जाना जायेगा एवं सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरे पुत्र का यही सही नाम है। पुराना नाम परिवर्तित नाम दिनेश मेहरा उर्फ शरद मेहरा शरद मेहरा आवेदक- राजेश मेहरा आ. गोदालाल मेहरा स्थाई निवासी-वार्ड 19, नारायण नगर ब्रह्मकुमारी आश्रम के पास होशंगाबाद (नर्मदापुरम) म.प्र.

क्राइम ब्रांच ने गांजा तस्करी को किया गिरफ्तार, 13 किलो से गांजा बरामद

● भोपाल, अग्निबाण संवाददाता।

क्राइम ब्रांच भोपाल द्वारा गांजा तस्करी के आरोप में एक महिला सहित 2 को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से कुल 13 किलो 3 सौ ग्राम गांजा जप्त किया जिसकी कुल कीमत 2 लाख रुपये बताई है। आरोपियों द्वारा गांजा उड़ीसा से भोपाल लाया जा रहा था। आरोपियों के विरुद्ध अपराध धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस आरोपियों से गांजे के संबंध में पूछताछ कर रही है। क्राइम ब्रांच टीम को मुखबिर ने थाने पर उपस्थित आकर सूचना दी थी कि ऐयरो सिटी रोड ब्रिज के नीचे गांधी नगर भोपाल में एक लड़का जिसने काली सफेद रंग की चिट्टेदार शर्ट एवं जींस की पेंट पहने है, चेहरे पर दाढ़ी, रंग सांवल्ला है तथा एक महिला जिसने नीले रंग का कुर्ता, व जींस पहनी है कुर्ते पर लाल



आसमानी रंग का दुपट्टा पहने हैं। दोनों के पास एक झोला और प्लास्टिक की चट्टाई है, जिसमें गांजा है। मुखबिर द्वारा बताए स्थान ऐयरो सिटी रोड ब्रिज के नीचे गांधी नगर भोपाल पहुंचे। जहां मुखबिर द्वारा बताए हुलिए का व्यक्ति और महिला को मोबाइल द्वारा विडियोग्राफी करते हुए घेराबंदी कर पुलिस ने अभिरक्षा मे लेकर नाम-पता पूछा। व्यक्ति ने अपना नाम फैज मोहम्मद (21) निवासी आरिफ नगर महिला ने अपना नाम संजना ठाकुर (20) निवासी ग्राम जमनी टोला तहसील सुहागपुर जिला नर्मदापुरम का होना बताया।

वाहन चोर पुलिस गिरफ्त में, मोटरसाइकिल बरामद

भोपाल। राजधानी की कोतवाली थाना पुलिस ने वाहन चोरी के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है, जिसकी कीमत तकरीबन 1 लाख 15 हजार रुपये बताई गई है। 05 जुलाई को फरियादी विनीत गुप्ता ने थाने आकर रिपोर्ट लिखवाई कि उनकी मोटरसाइकिल क्रमांक 15 बिना नम्बर सफेद कलर की शराब दुकान के पास इमामोगेट से किसी अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ली गई है। उनकी रिपोर्ट पर पुलिस ने अपराध कायम कर विवेचना में लिया। इसी बीच रात में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक अज्ञात व्यक्ति क्रमांक 15 मोटर सायकिल सफेद रंग बिना नम्बर की रायल मार्केट से धकाकर राजू टो स्टाल की ओर ले जा रहा है।

सूचना मिलते ही थाना प्रभारी निरीक्षक काशीराम कुशवाहा के कुशल नेतृत्व मे पुलिस टीम को तत्परता से तलाश के लिए खाना की गई। पुलिस टीम द्वारा फरियादी के बताए गए स्थान व सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर आसपास तलाश किया और मुखबिर के बताए स्थान पर एक उक्त हुलिये का व्यक्ति मोटर सायकिल क्रमांक 15 को धकाकर ले जाते हुए दिखा जो पुलिस को अपनी ओर आता देखकर भागने का प्रयास करने लगा। जिसे पुलिस टीम द्वारा पकड़ लिया गया। उससे उक्त मोटरसाइकिल के संबंध में पूछताछ की तो उसके द्वारा गाड़ी को चोरी करना स्वीकार किया जिसकी जामा तलाशी लेकर थाना लेकर आए। आरोपी ने अपना नाम 36 वर्षीय अयान उर्फ अयास खान बताया है।

5 साल में 11570 मेगावॉट अधिक बिजली उत्पादन का लक्ष्य

● भोपाल, अग्निबाण संवाददाता।

मप्र में अगले 5 साल में 11570 मेगावाट अतिरिक्त बिजली पैदा होगी। इसके लिए मप्र पाँवर जनरेशन कंपनी अभी से जुटी हुई है। कंपनी का टारगेट है कि 2028-29 तक प्रदेश में 34300 मेगावॉट बिजली उत्पादन किया जाए। यह वर्तमान में 22730 मेगावॉट बिजली की उत्पादन क्षमता से 11570 मेगावॉट अधिक है। प्रदेश में बिजली की उत्पादन क्षमता अगले पांच साल में डिमांड से दोगुनी हो जाएगी। मप्र पाँवर जनरेशन कंपनी ने यह लक्ष्य रखा है। कंपनी का 2028-29 तक प्रदेश में 34300 मेगावॉट बिजली उत्पादन का टारगेट है। इसकी जानकारी कंपनी ने मप्र विद्युत विनियामक आयोग को उपलब्ध कराई है। प्रदेश में अभी 22730

2028-29 तक प्रदेश में 34300 मेगावॉट बिजली उत्पादन का टारगेट

मेगावॉट बिजली की उत्पादन क्षमता है। यह बिजली भी प्रदेश की डिमांड से ज्यादा है। गौरतलब है कि मप्र वर्तमान में ही अपनी मांग की अपेक्षा अधिक बिजली का उत्पादन कर रहा है। मप्र में उत्पादित होने वाली अतिरिक्त बिजली दूसरे राज्यों को बेची जाती है। वहीं मप्र पाँवर जनरेशन कंपनी आगामी वर्षों में बिजली उत्पादन का लक्ष्य और बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है। बिजली की अधिक उपलब्धता होने की वजह से प्रदेश की पाँवर जनरेशन कंपनी दूसरे राज्यों के

औद्योगिकों को सस्ती दरों में बिजली बेच देती है। दूसरे राज्यों के औद्योगिकों को 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली बेची जाती है। पिछले तीन से चार महीने में पाँवर जनरेशन कंपनी ने करीब 400 करोड़ रुपए की 84 करोड़ यूनिट बिजली बेची है। यह बिजली लगभग 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से बेची जाती है। इससे महंगी बिजली प्रदेश के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को मिलती है। डिमांड से 50 फीसदी ज्यादा उत्पादन का लक्ष्य: कंपनी का

टारगेट है कि 2028-29 तक प्रदेश में 34300 मेगावॉट बिजली उत्पादन किया जाए। प्रदेश में बिजली की उत्पादन क्षमता अगले पांच साल में डिमांड से दोगुनी हो जाएगी। वर्तमान में प्रदेश में बिजली की औसत डिमांड 12 हजार से 13 हजार मेगावॉट है। गर्मी के दिन में यह डिमांड 15 हजार मेगावॉट तक पहुंच पाती है। प्रदेश के किसान जब रबी की फसल लगाते हैं, तब अक्टूबर से नवंबर तक खेतों में सिंचाई के लिए बिजली की डिमांड बढ़ जाती है। तब भी प्रदेश में बिजली की औसत डिमांड 15 से 16 हजार मेगावॉट ही रहती है। प्रदेश में 13 जनवरी 2023 को बिजली की डिमांड 17170 मेगावाट तक पहुंच गई थी।



फॉर्म जी अभिरुचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण चिनार रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड	
भोपाल, मध्य प्रदेश में रियल इस्टेट सेक्टर में कार्यरत (भारतीय विद्याला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों हेतु) विद्याला समाधान प्रक्रिया) विनियमन 2016 के विनियम 36 ए के उप-विनियम 1 अंतर्गत)	
प्रारंभिक विवरण	
1. पैन और सीआइएन/एलएनएन की नंबर के साथ कॉर्पोरेट कर्तार का नाम	चिनार रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड U45201MP1999PTC013256
2. पंजीकृत कार्यालय का पता	एफ. क्र. 401, ब्लॉक जी गौरव, चौथी मंजिल, चिनार ड्रीम सिटी, रत्नपुर सड़क, वार्ड क्र. 84, होशंगाबाद रोड, मिसरोड, भोपाल, इन्डूर, मध्य प्रदेश - 462047
3. वेबसाइट का यूआरएल	https://www.incorpstructuring.com/chinarrealty.html
4. स्थान का विवरण जहां बहुतांश अचल संपत्तियां स्थित हैं	चिनार ड्रीम सिटी, रत्नपुर सड़क, वार्ड क्र. 84, होशंगाबाद रोड, मिसरोड, भोपाल, इन्डूर, मध्य प्रदेश - 462047 अधिक जानकारी chinarrealty@gmail.com पर ईमेल भेजकर आरबी से प्राप्त किये जा सकते हैं।
5. मुख्य उत्पादों/सेवाओं की अधिष्ठापित क्षमता	लागू नहीं
6. विगत वित्तीय वर्ष में बेचे गये मुख्य उत्पादों/सेवाओं की मात्रा और मूल्य	लागू नहीं
7. कर्मचारियों/कामगारों की संख्या	शून्य
8. कर्जदाताओं की सूची, दो वर्षों के विगत उपलब्ध वित्तीय विवरणों (अनुसूचियों के साथ) सहित सम्पूर्ण विवरण यहां यूआरएल पर उपलब्ध हैं	विवरण chinarrealty@gmail.com पर ईमेल भेजकर प्राप्त किये जा सकते हैं तथा/अथवा कोड के प्रावधानों और उक्त वेबसाइट निर्मित विनियमनों के अनुपालन में वर्चुअल डाटा रूम से प्राप्त किये जा सकते हैं।
9. सहिता की धारा 25 (2) (एच) अंतर्गत समाधान आवेदकों हेतु पात्रता जानकारी यहां उपलब्ध है	अभिरुचि की अभिव्यक्ति हेतु विस्तृत आमंत्रण जिसमें सहिता की धारा 25 (2) (एच) अंतर्गत समाधान आवेदकों हेतु पात्रता शामिल है, chinarrealty@gmail.com पर ईमेल भेजकर प्राप्त किये जा सकते हैं और https://www.incorpstructuring.com/chinarrealty.html पर उपलब्ध है।
10. अभिरुचि की अभिव्यक्ति की स्वीकृति की अंतिम तिथि	23 जुलाई 2024
11. संभावी समाधान आवेदकों की प्रविजनल सूची जारी करने की तिथि	02 अगस्त 2024
12. प्रविजनल सूची पर आपत्ति जमा करने की अंतिम तिथि	7 अगस्त, 2024
13. संभावी समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	17 अगस्त, 2024
14. संभावी समाधान आवेदकों को समाधान योजना हेतु अनुरोध तथा मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना मेमोरैंडम जारी करने की तिथि	22 अगस्त, 2024
15. समाधान योजना जमा करने की अंतिम तिथि	21 सितंबर 2024
16. अभिरुचि की अभिव्यक्ति जमा करने हेतु प्रोसेस ईमेल आईडी	chinarrealty@gmail.com

हस्ता./-
अमित विजय कारिया
चिनार रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड के समाधान पेशेवर
(लागू सीआईआरपी अंतर्गत आदेश दिनांक 2 मई, 2024, 6 मई 2024 को प्राप्त)
पंजीकरण क्रमांक: आईडीबीआई/आईडीबी-001/आईडीबी-वी02600/2021-2022/13969
एएफए: एए/13969/02/061224/106477, 6 दिसंबर 2024 तक वैध है।
आईडीबीआई के साथ पंजीकृत पता और ईमेल:
405, हिंदू रात्रस्थान बिल्डिंग, दादासाहेब फालके रोड, गौतम नगर, दादर (पूर्व), मुंबई - 400 014 (महाराष्ट्र) ipamitkaria@gmail.com
पत्राचार हेतु प्रोसेस विशिष्ट ईमेल: chinarrealty@gmail.com
प्रोसेस विशिष्ट वेबसाइट: https://www.incorpstructuring.com/chinarrealty.html
दिनांक: 8 जुलाई 2024
स्थान: मुंबई